ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

योजना की मदद से
रीता दीदी बनी उद्यमी
(पृष्ठ – 02)

प्रमीला देवी को योजना का सहारा,
संकटों से उबारा
(पृष्ठ – 03)

सतत् जीविकोपार्जन योजना
से जुड़कर सावित्री को मिली
नई पहचान
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – फरवरी 2024 ।। अंक – 31

स्वावलंबी बनेंगे शहरी क्षेत्रों के अत्यंत निर्धन परिवार

बिहार में अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन के स्थायी साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगस्त 2018 में सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शराबबंदी से प्रभावित परिवारों के साथ–साथ समाज के अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत एक लाख से अधिक लाभान्वित परिवारों को स्वावलंबन की राह पर अग्रसर किया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना की आशातीत सफलता को देखते हुए इसे अब राज्य के शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।

राज्य के सभी नगर पंचायत एवं नगर परिषद वाले क्षेत्रों में सतत् जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए निम्नलिखित चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई गई है–

लक्षित परिवार की पहचान हेतु अभियान : शहरी निकायों में सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए लक्षित परिवारों की पहचान हेतु व्यापक अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरूआत में सर्वप्रथम जिला स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नगर निकाय अंतर्गत लक्षित परिवार के चयन हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में लक्षित परिवारों की पहचान हेतु निकटतम जीविका संकुल स्तरीय संघ या नोडल ग्राम संगठन के द्वारा प्रत्येक वार्ड के लिए चार सदस्यीय एक टीम गठित की गयी। इस टीम में 3 सामुदायिक संसाधन सेवियों और एक जीविका मित्र/बुक कीपर या किसी अन्य कैडर को शामिल किया गया। इसके अलावा जिन शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) कार्यरत है, वहाँ चयन अभियान के लिए गठित होने वाली प्रत्येक टीम में एन.यू.एल.एम. सम्पोषित सामुदायिक संगठन के दो सदस्यों एवं जीविका सम्पोषित सामुदायिक संगठन के दो सदस्यों को शामिल किया गया।

सामुदायिक संगठनों का उन्मुखीकरण : शहरी क्षेत्रों में लक्षित परिवारों के चयन हेतु संबंधित जीविका सामुदायिक संगठन में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को सतत् जीविकोपार्जन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए लक्षित परिवारों के चयन की प्रक्रिया एवं अन्य प्रमुख गतिविधियों के बारे में उन्मुख किया गया।

चयन समिति का गठन : सभी सामुदायिक संगठनों में 5 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य जीविका सामुदायिक संगठन के पदधारियों को तथा 2 सदस्य शहरी आजीविका मिशन के सामुदायिक संगठनों के पदधारियों को शामिल किया गया। चयन समिति द्वारा सम्पूर्ण चयन अभियान के दौरान सामुदायिक संगठनों तथा सामुदायिक संसाधन सेवी दल के कार्यों का अनुश्रवण एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है।

गृह भ्रमण एवं योग्य परिवारों की पहचान : चयनित सामुदायिक संसाधन सेवी दल द्वारा लक्षित परिवारों का गृह भ्रमण करते हुए सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु निर्धारित मापदंडों के आधार पर योग्य परिवारों की पहचान की गई। टीम के द्वारा लाभार्थी परिवारों की पहचान कर उसकी सूची तैयार की गई।

सामुदायिक संगठनों द्वारा लक्षित परिवारों के अनुमोदन हेतु विशेष बैठक : सामुदायिक संसाधन सेवी दल के द्वारा चिन्हित अत्यंत निर्धन परिवारों की सूची को सामुदायिक संगठन की विशेष बैठक में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सामुदायिक संगठन की बैठक में उन सभी परिवारों की स्थिति पर विचारोपरांत सर्वसम्मति से योजना के निर्धारित मापदंडों के आधार पर लाभार्थी परिवारों की अंतिम सूची तैयार की गई। सामुदायिक संगठन की बैठक में लाभार्थियों की सूची के अनुमोदन के पश्चात इन परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभ पहुँचाया जा रहा है।

योजना की मदद से रीता दीदी बनी उद्यमी

रीता देवी जमुई जिला के झाझा प्रखंड स्थित केशोपुर पंचायत की रहने वाली है। इनके पति धमना गांव में आरा मशीन में मजदूरी करते थे। वर्ष 2015 में आरा मशीन में काम करते समय दुर्घटनावश इनका बायां हाथ आरा मशीन की चपेट में आने से कट गया। आरा मशीन मालिक ने इनका इलाज तो करवा दिया, किंतु हाथ कट जाने की वजह से इनके पति बेरोजगार हो गए थे। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। रीता देवी बमुश्किल किसी तरह मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर–बसर कर रही थी।

रीता देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए वर्ष 2020 में इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत किया गया। इसके बाद उन्हें उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण दिया गया। सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत उन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि अंतर्गत 20,000 रुपए की परिसंपति और विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपए प्रदान किये गए। इसके अलावा जीविकोपार्जन अंतराल निधि के तहत उन्हें सात माह तक एक–एक हजार रुपये प्रदान किया गया।

योजना के तहत प्राप्त राशि से इन्होंने एक गुमटी खरीदी तथा नाश्ता की दुकान के लिए सामग्रियों की खरीद की गई। इसके बाद उन्होंने गुमटी में नाश्ता दुकान शुरू किया। अपने पति के सहयोग से ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण चाय और नाश्ता की बिक्री करती है। दुकान पर ग्राहकों की बढ़ती भीड़ से इनकी आमदनी भी बढ़ने लगी है। इस व्यवसाय से इनके पारिवार की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। वह दुकान में समोसा, ब्रेड चॉप, ऑमलेट और पानीपुरी बेचती है। दुकान को सफलतापूर्वक चलाने की वजह से उन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि के द्वितीय किस्त के रूप में 27,000 रुपये प्रदान किया गया है। इससे रीता देवी इस दुकान में नाश्ता के साथ–साथ सब्जियां भी बेचने लगी है जिससे अभी आय में बढ़ोतरी हुई है। रीता देवी कहती है, 'सतत् जीविकोपार्जन योजना की वजह से आज हम अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं।'

रुक्मिणी देवी ने लिखी अपनी विकास की कहानी

रुक्मिणी देवी भोजपुर जिला के गडहनी प्रखंड स्थित हरपुर पंचायत में करनौल गांव की रहने वाली है। उनके पति स्वर्गीय राम शुभम राम की अचानक मौत के बाद रुक्मिणी देवी का जीवन दु:खों से घिर गया था। अपनी दो बेटियों और दो बेटों का पालन–पोषण करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो गई थी। अपने परिवार का भरण–पोषण करने के लिए वह दूसरे के खेतों में मजदूरी करने लगी। हालांकि इससे होने वाली सीमित आय से परिवार का भरण–पोषण अच्छी तरह करना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए उनकी बड़ी बेटी भी साथ में मजदूरी करने लगी।

इसी बीच इस गाँव में गठित हरे कृष्णा जीविका महिला ग्राम संगठन ने रुक्मिणी देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ने का विचार किया। सामुदायिक संसाधन सेवी दल के द्वारा गृह भ्रमण के उपरांत उनका चयन इस योजना अंतर्गत किया गया। इस योजना से जुड़ाव के बाद इन्होंने बकरी पालन करने का विचार किया। तदुपरांत इन्हें विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये और जीविकोपार्जन निवेश निधि की राशि प्रदान की गई। इससे इन्होंने बकरी पालन का कार्य शुरू किया। साथ ही इन्हें जीविकोपार्जन अन्तराल निधि के तहत 7,000 रुपये प्रदान किये गए।

रुक्मिणी देवी ने योजना की मदद से बकरी पालन का कार्य प्रारंभ किया। बकरी पालन से प्राप्त आय एवं जीविकोपार्जन निवेश निधि की दूसरी किस्त के रूप में प्राप्त राशि से इन्होंने एक भैंस भी खरीदी। भैंस पालन से उनके घर प्रतिदिन दूध का उत्पादन होने लगा है। प्रतिदिन दूध बेचने से उन्हें अच्छी आय हो जाती है। इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

अब वह प्रत्येक माह औसतन 6000 से 7000 रुपए की आमदनी अर्जित कर लेती है। इन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी भी कर दी है। रुक्मिणी देवी अपनी मेहनत एवं लगन से धीरे–धीरे आत्मनिर्भर बन रही है। इससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है।

प्रमीला देवी को योजना का सहारा, संकटों से उबारा

प्रमीला देवी अरवल जिले के बंशी प्रखण्ड में शेरपुर पंचायत स्थित करवा बलराम गाँव की रहने वाली है। इनका परिवार मजदूरी पर आश्रित था। पति की मजदूरी से ही परिवार का परवरिश हो रहा था। तभी अचानक बीमारी के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। इस पीड़ा से प्रमीला दीदी की मानसिक एवं आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। इस स्थिति में उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था। घर में बच्चों के खाने पर भी आफत आ गयी थी। परिस्थितिवश प्रमीला देवी दूसरे के खेत में मजदूरी करने लगी थी।

इसी बीच वर्ष 2021 में तारा जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा प्रमीला देवी को सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित किया गया। चूँकी पति की मौत के बाद प्रमीला देवी मानसिक रूप से काफी टूट चुकी थी, ऐसे में योजना के तहत चयन के उपरांत सर्वप्रथम उन्हें उद्यमिता विकास एवं क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। इससे प्रमीला देवी का आत्मविश्वास बढ़ा। प्रमीला देवी को रोजगार के साधन से जोड़ने के लिए ग्राम संगठन के माध्यम से सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत जीविकोपार्जन निवेश निधि के रूप में 20,000 रुपये की परिसंपति उपलब्ध कराई गई। इससे उन्होंने किराना दुकान का संचालन शुरू किया। इस दुकान के सफलतापूर्वक संचालन में मास्टर संसाधन सेवी ने काफी सहयोग दिया। प्रमीला देवी दुकान के लिए खरीदारी करना, ग्राहकों को सामान बेचना और आय–व्यय का हिसाब–किताब रखना अच्छी तरह सीख गई है। अपने अच्छे व्यवहार एवं मेहनत की वजह से उनकी दुकान अच्छी तरह से चल रही है। उन्हें अच्छी कमाई भी होने लगी है।

प्रमीला देवी की आमदनी में बढ़ोतरी होने से उनके घर की आर्थिक स्थिति अब सुधर रही है। प्रमीला दीदी के पास अब सुरक्षित घर, शौचालय, शुद्व पेयजल, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध है। अब वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। दीदी अब अपने बच्चों को विद्यालय भी भेज रही है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने सबरी को दिखाई आगे बढ़ने की राह

सबरी देवी पटना जिला के पंडारक प्रखंड की रहने वाली है। दीदी के पति को लकवा मार दिया था, जिससे वह पूरी तरह से लाचार हो गए थे। वह कोई काम करने में असमर्थ थे। इस कारण उनके घर की स्थिति ख़राब हो गयी थी। उनके छोटे–छोटे 4 बच्चे हैं। अपने पूरे परिवार का भरण–पोषण करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। कभी–कभी तो अपनी जरूरतों के लिए उन्हें दूसरे के सामने हाथ फैलाने की नौबत रहती थी।

इसी बीच आदर्श जीविका महिला ग्राम संगठन के नेतृत्व में सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु गरीब परिवारों की पहचान के लिए सामुदायिक संसाधन सेवियों की टीम के द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा था। सबरी देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए सामुदायिक संसाधन सेवी दीदियों ने उनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया। सबरी दीदी बैष्णो जीविका स्वयं सहायता समूह और आदर्श जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य है। आखिर में ग्राम संगठन के अनुमोदन के पश्चात सबरी देवी को सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित कर लिया गया। जिससे उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी। इस योजना के तहत उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इन्हें 10,000 रुपये विशेष निवेश निधि के तहत और 20000 रुपये जीविकोपार्जन निवेश निधि के रूप में परिसंपति प्रदान किया गया। इस राशि से उन्होंने राशन दुकान की शुरूआत की। इसके अलावा 7000 रुपये जीविकोपार्जन अन्तराल निधि के रूप में प्रदान किया गया।

योजना की सहायता से सबरी देवी नियमित रूप से दुकान चलाने लगी है। दुकान चलाने में मास्टर संसाधन सेवी द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया जाता है। सबरी देवी का आत्मविश्वास बढ़ा है। दुकान में अच्छी बिक्री होने से इनकी आमदनी भी बढ़ने लगी है। अब वह दुकान की आय से अपने परिवार का भरण–पोषण करती है। इसके अलावा वह नियमित बचत करती है तथा अपने बच्चों को स्कूल भी भेजती है। इस प्रकार सतत् जीविकोपार्जन योजना की मदद से सबरी देवी आत्मनिर्भर बन गई है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर सावित्री को मिली नई पहचान

शेखपुरा जिला अन्तर्गत अरियरी प्रखण्ड के कसार पंचायत में बेलहरी गाँव की रहने वाली सावित्री देवी बेहद दयनीय स्थिति में जीवन–यापन कर रही थी। लेकिन सतत् जीविकोपार्जन योजना की वजह से उनका जीवन अब काफी बदल गया है। अब उन्होंने एक आत्मनिर्भर एवं सफल उद्यमी महिला के रूप में एक नयी पहचान बनायी है।

गरीबी के साथ–साथ पति का साथ नहीं होने से सावित्री देवी के जीवन में काफी परेशानियाँ थीं। वह मजदूरी करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन–पोषण कर रही थी, लेकिन कभी–कभी काम नहीं मिलने की स्थिति में उनकी दिक्कत और बढ़ जाती थी। काफी मेहनत के बावजूद वह अपने परिवार की जरूरतों की पूर्ति करने में असमर्थ थी। अपनी परेशानियों के बीच वह एक दिन मायूस अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी गांव में सर्वे करने आई सामुदायिक संसाधन सेवी दीदियों की दल उनके घर के सामने पहुँची। सामुदायिक संसाधन सेवी दीदियों ने सावित्री दीदी से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उनका नाम सतत् जीविकोपार्जन योजना लाभार्थी सूची में दर्ज कर लिया। माँ वैष्णवी जीविका महिला ग्राम संगठन की बैठक में उनके नाम पर विचार किया गया। तदुपरांत उन्हें इस योजना अंतर्गत चयनित किया गया।

योजना से जुड़ाव के बाद सावित्री देवी को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही उनका सूक्ष्म नियोजन किया गया। इसके आधार पर सावित्री देवी ने श्रृंगार दुकान शुरू करने का फैसला किया। ग्राम संगठन के माध्यम से उन्हें विशेष निवेश निधि के 10 हजार रुपए दिए गए। इससे उन्होंने दुकान हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण कराया। वहीं जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 20 हजार रुपए की परिसंपति प्रदान किए गए, इससे ग्राम संगठन की खरीददारी समिति द्वारा श्रृंगार दुकान हेतु सामग्रियों की खरीद की गई। इस प्रकार योजना की मदद से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। इसके साथ–साथ उन्हें जीविकोपार्जन अंतराल निधि के तहत एक–एक हजार रुपए प्रति माह की दर से कुल 7 हजार रुपए दिए गए। जिससे दुकान की आमदनी होने तक वह अपने घर के खर्चों को पूरा कर सकें।

सावित्री देवी ने काफी मेहनत से श्रृंगार दुकान चलाना शुरू किया। इससे होने वाली आमदनी से उन्होंने एक सिलाई मशीन भी खरीदी और किराना दुकान भी शुरू की। इससे उनकी अमदनी में इजाफा हुआ। सतत् जीविकोपार्जन योजना की वजह से दीदी के जीवन में धीरे–धीरे बदलाव आने लगा है। अब वह श्रृंगार दुकान संचालन के साथ–साथ कपड़ों की सिलाई का भी काम करती है एवं किराना दुकान भी चलाती है।

दुकान से नियमित अच्छी आय होने से इन्हें स्वावलंबी दीदी के रूप में चयनित किया गया है। इन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि की दूसरी किस्त की राशि भी प्रदान की गई है। इस राशि से उन्होंने अपने दुकान का विस्तार किया है। उन्होंने एक फ्रीज खरीदी है, वह दुकान में कोल्डड्रिंक, दूध इत्यादि भी बेचने लगी है। आज दीदी के पास एक फ्रीज और फोटोकॉपी मशीन भी है।

इस प्रकार एक दुकान में विभिन्न माध्यमों से वह प्रति माह औसतन 7 हजार रुपए से अधिक की आमदनी अर्जित कर लेती है। दुकान की आमदनी से ही इन्होंने दो डिसमिल जमीन भी खरीदी है, इसमें वह परिवार के रहने के लिए घर बनवाएगी। दीदी बकरीपालन का कार्य भी करती है। सावित्री देवी के पास अब 4 बकरियाँ भी है। दीदी के पास वर्तमान समय में किराना दुकान, श्रृंगार दुकान, सिलाई मशीन, फ्रीज, फोटोकॉपी मशीन एवं 4 बकरियाँ हैं। वर्तमान में इनकी कुल परिसंपत्ति बढ़कर 1 लाख 22 हजार 745 रुपए हो गई है।

इस प्रकार कभी बेहद दयनीय स्थिति में जीवन–यापन करने वाली सावित्री दीदी अब आत्मनिर्भर और एक सफल उद्यमी बन गई है। वह अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर अपने परिवार का पालन–पोषण अच्छी तरह कर रही है। उनका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, बेगूसराय
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार